

॥ कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक : A/15-82 / दो-2-3/16
प्रति,

शिवपुरी, दिनांक: 30 / 06 / 17

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी० कलैकट्टे
शिवपुरी।

विषय :- 03 नग वातानुकूलित संयंत्र क्य करने हेतु जारी संशोधित निविदा को
एनआईसी० शिवपुरी की बेवसाईट पर प्रसारित करने बाबत्।

— 00 —

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, न्यायिक जिला स्थापना शिवपुरी की
तहसील न्यायालय पिछोर के लिये 03 नग ए०सी० 1.5 टन के म.प्र. भण्डार क्य तथा सेवा
उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 11 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सक्षम आपूर्तिकर्ताओं
से क्य करने हेतु अंतिम दिनांक 24.06.17 तक के लिये निविदा जारी की गई थी, नियत
दिनांक तक निविदायें प्राप्त नहीं होने से निविदा आमंत्रण की तिथि 09.07.17 तक बढ़ाई
जाकर संशोधित निविदा आमंत्रण जारी की गई हैं।

अतः निविदा की प्रति संलग्न भेजकर अनुरोध है कि, वातानुकूलित संयंत्र क्य
करने हेतु जारी निविदा को एनआईसी० शिवपुरी की बेवसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट
करें।

संलग्न :- निविदा की प्रति।

कृते. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी(म.प्र.) ॥

॥ संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना ॥

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, तहसील पिछोर में नवनिर्मित नवीन न्यायालय भवन पिछोर स्थित मीटिंग हॉल एवं कम्प्युटर सर्वररूम में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु **फाईव स्टार स्पलीट वातानुकूलित संयंत्र 1.5 टन के 03नग** मय स्टेपलाइजर, स्टेप्ड व इन्स्टॉलेशन चार्ज सहित सक्षम फर्म से भण्डार क्य एवं सेवा उपार्जन नियम-2015 की कंडिका-11 अनुसार दिनांक 24.06.2017 तक पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत उपस्थित होकर निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदा आमंत्रण की तिथि में संशोधन किया जाकर दिनांक 09.07.2017 तक बढ़ाई जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता **दिनांक 09.07.17** के **सांयकाल 5.00बजे** तक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।

शर्तः :-

1. फर्म वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाक्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाक्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. निविदा में सभी प्रकार के करों व क्य मूल्य का खुलाशा तथा सकल योग स्पष्ट रूप सं किया जावेगा।
3. क्य की गई सामग्री का परिदान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में किया जावेगा।
4. एक से अधिक फर्म/विकेता के द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें समान होने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/विकेता की साख/कार्य गुणवत्ता वांरटी आदि को ध्यान नैं रखकर सर्वोत्तम साख/कार्य गुणवत्ता वाली फर्म की निविदा स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
5. निविदा की शर्ते अथवा क्य की गई सामग्री सप्लाई करने आदि में किसी भी प्रलाप की विवादित स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में लिए एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्गय अंतिम एवं मान्य होगा।
6. वातानुकूलित संयंत्र इन्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राहय किया जावेगा।
7. क्य /सप्लाई/कार्य आदेश किसी भी समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा इसके लिए किसी भी प्रकार को क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
8. वातानुकूलित संयंत्र क्य किये जाने की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती हैं।
9. क्य आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इन्टॉलेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्य की जाने वाली सामग्री का क्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. क्य की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। अन्यथा क्य की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विकेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
11. निविदा आमंत्रण की शर्तों में विसंगति पाये जाने अथवा किसी भी विवादित स्थिति का निराकरण मध्य प्रदेश भण्डार क्य तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।